

कार्यालय :- वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

अशोक टाउन हॉल रोड, जमुई। पिनकोड- 811307, फोन नं०- 06345-222036

E-mail I.D-jamuidfo@gmail.com

पत्रांक :-

1408

दिनांक :- 11/09/2018

प्रेषक,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)-सह-
नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण),
बिहार, पटना।

विषय :-

जमुई जिलान्तर्गत (झाझा-कटोरिया) NH-333A पथ के किनारे आष्टिकल फाइवर केवल बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत भूमि अपयोजन के लिए FRA 2006 के अनापति प्रमाण पत्र के संबंध में।

प्रसंग :-

जिला पदाधिकारी, जमुई का पत्रांक- 1031/ क० दिनांक- 04.09.2018

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र द्वारा जिला पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त जमुई जिलान्तर्गत (झाझा-कटोरिया) NH-333A पथ के किनारे आष्टिकल फाइवर केवल बिछाने हेतु वन भूमि अपयोजन के लिए FRA 2006 के अनापति प्रमाण पत्र हस्ताक्षर कर अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रेषित किये हैं।

FRA 2006 प्रमाण पत्र को आवश्यक कार्रवाई हेतु मूल रूप से भवदीय को प्रेषित किया जा रहा है।

कृपया प्राप्ति स्वीकार किया जाय।

अनु०-यथोक्त

विश्वासभाजन,

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमुई वन प्रमंडल, जमुई।



(2)

**कार्यालय, जिला पदाधिकारी, जमुई के तहत रैखिक परियोजना निर्माण
हेतु FRA 2006 का प्रमाण पत्र
(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2017 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)**

संख्या.....1031.....दिनांक.....04-09-18

प्रमाणित किया जाता है कि जमुई जिले के प्रयोक्ता एजेंसी रिलायंस जिया इंफोकॉम लि० द्वारा OFC रैखिक परियोजना निर्माण स्थान झांझा से कटोरिया तक कुल किलोमीटर 24 कि०मी० में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.17262 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के पत्रांक 1864 दिनांक 29.12.2017 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई के अनुशंसा एवं अंचाल अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आलोक में प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर प्रयोक्ता एजेंसी के पथ में FRA 2006 निर्गत किया जाता है। ज्ञातव्य है कि परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान-
तिथि-


जिला पदाधिकारी का हस्ताक्षर
एवं मुहर

FRA 2006 का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन, नई दिल्ली द्वारा दिनांक
28.10.2014 को निर्गत दिशा निर्देश के तहत)

संख्या...542.....दिनांक...22/06/19

प्रमाणित किया जाता है कि बाँका जिले में प्रयोक्ता एजेसी रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड द्वारा ऑप्टिकल फाईबर बिछाने से संबंधित रैखिक परियोजना निर्माण स्थान-झाझा से कटोरिया(333-NH) पथ के किनारे तक कुल किलोमीटर 25 में पड़ने वाले पथ/नहर तट पर अवस्थित सुरक्षित वन भूमि के 0.2055 हे० रकबा के अपयोजन (Diversion) हेतु प्रयोक्ता एजेसी के आवेदन पर वन प्रमंडल पदाधिकारी, बाँका के पत्रांक-1495 दिनांक-01.12.17 द्वारा FRA 2006 प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा समर्पित किया गया है।

तदालोक में प्रस्ताव के जाँचोपरांत प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित रैखिक विकास परियोजना (कंडिका-1 में वर्णित) के लिये अपयोजित होने वाली भूमि पर अवस्थित वृक्षरोपण दिनांक-13.12.2005 के पूर्व 75 वर्षों से कम अवधि में वन भूमि के रूप में अधिसूचित किया गया है और परियोजना क्षेत्र के गाँवों में वर्ष 2001 एवं 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की अभिलिखित आबादी नहीं है।

स्थान- बाँका

तिथि-


जिला पदाधिकारी, बाँका का
हस्ताक्षर एवं मोहर

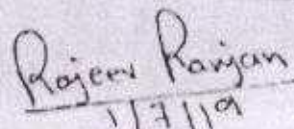
OR

Certified that Forest land proposed to be diverted is a plantation which was notified as "forest" less than 75 year's prior to the 13th day December 2005 and is located in villages having no recorded population of Scheduled Tribes, as per the Census-2001 and Census-2011

अभिप्रमाणित

Place :

Dated :


11/3/19

वन प्रमंडल पदाधिकारी
बाँका जल प्रमंडल, बाँका

District Magistrate
and Office Seal